रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04012023-241656
CG-DL-W-04012023-241656

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 27—पौष 3, 1944
No. 28] NEW DELHI, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 27—PAUSHA 3, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.नि.आ. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सैन्य अभियन्ता सेवाएं (तकनीकी अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सैन्य अभियन्ता सेवाएं, तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पध्दति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सैन्य अभियन्ता सेवाएं, तकनीकी अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों मे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) मे स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

8238 GI/2022

Note 2: Period for deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appoint-ment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Brigadier Signals Staff, Directorate General of Signals – Chairman; 2. Colonel (Personnel), Directorate General of Signals – Member; 3. Under Secretary (Quartering Service) Ministry of Defence -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. B/44686/RR/Accounts Cadre/Sigs-4(c)/307/RR/D(Apptts)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

का.नि.आ. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर भर्ती नियम, 1999 को जहां तक उसका संबंध मुख्य लेखा अधिकारी के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, एवं महानिदेशालय, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन में मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, एवं वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय लेखा काडर मुख्य लेखा अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु मीमा, अर्हताएं और उक्त पद मे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य लेखा अधिकारी	3 (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78800- 209200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में ऐसे ज्येष्ठ लेखा अधिकारी श्रेणी-I जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में (67700-208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, -

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री;

(ii) वित्त तथा बजट के लेखा प्रबंधन मामलों में सात वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है; तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समितिः (प्रोन्नति पर विचार के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य 3. निदेशक, कार्मिक अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन – सदस्य। 4. निदेशक, रक्षा विभाग अथवा निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय (अनुसंधान और विकास) - सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फ़ा. सं. डीएचआरडी/97011/आरआरएस/लेखा काडर/सी/पी/02/1385/डी(आरएंडडी) तारीख 21 दिसम्बर, 2022]

हर्षा रानी, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 21st December, 2022

S.R.O. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence Accounts Cadre Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Chief Accounts Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Accounts Officer in the Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short, title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence Accounts Cadre, Chief Accounts Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Chief Accounts Officer.	3* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(4)	(5)	(6)	(7)
Level-12 in the pay matrix, (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Senior Accounts Officer Grade-I in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks of mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or the Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent Cadre or Department; and

(b) possessing following educational qualification and experience,-

(i) Bachelor degree from a recognised University or institute;

(ii) Seven years experience in Accounts, management of Finance and Budgeting.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.cp

Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty fifty-six as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists; what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of):- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman; 2. Director General, Defence Research and Development Organisation - Member; 3. Director of Personnel orDirector of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation -Member; 4. Director, Department of Defence or Director, Armed Forces Headquarter Civil Services, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence or Finance (Research and Development) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. DHRD/97011/RRs/Accounts Cadres/C/P/02/1385/D (R&D) dated, the 21 December, 2022]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

का.नि.आ. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर, भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, में संयुक्त निदेशक (लेखा) और लेखा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, लेखा काडर, संयुक्त निदेशक (लेखा) और लेखा अधिकारी (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. संयुक्त निदेशक (लेखा)।	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-13 123100 - 215900 रु.

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/- रु.) में ऐसे मुख्य लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम न हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हों, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो -

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री।

(ii) लेखा, वित्त तथा बजट प्रबंधन में दस वर्षो का अनुभव।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है; तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मुख्यालय - सदस्य; 3. निदेशक, कार्मिक या निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य; 4. निदेशक, रक्षा विभाग या निदेशक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय या वित्त (अनु. और वि.) - सदस्य;	प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. लेखा अधिकारी।	64* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर–7 (44900-142400/- रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	60 प्रतिशत प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 6 (35400-112400 रु.) में ऐसा लेखाकार जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की, हो और कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, हो - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री और समतुल्य; (ii) केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभागों द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य में उत्तीर्ण या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या डीआरडीओ या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- 1. महानिदेशक, अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -अध्यक्ष; 2. निदेशक कार्मिक या निदेशक, मानव संसाधन और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -सदस्य; 3. एक अधिकारी जो अवर-सचिव या रक्षा (अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय, उप-निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय या अपर वित्तीय सलाहकार अनुसंधान और विकास रक्षा मंत्रालय (वित्त) के स्तर से नीचे का न हो -सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फ़ा. सं. डीएचआरडी/97011/आरआरएस/लेखा काडर/सी/पी/02 (I)/1386/डी(आर और डी) तारीख 21 दिसम्बर, 2022]

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2022

S.R.O. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence Accounts Cadre Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Joint Director (Account) and Accounts Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of Joint Director (Accounts) and Accounts Officer in the Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short, title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Accounts Cadre, Joint Director (Accounts) and Accounts Officer (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Joint Director (Accounts).	1* 2022 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Level-13, Rs. 123100-215900 in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation.	Promotion: - Chief Accounts Officer in level-12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed training of 2 to 4 weeks in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration : (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following Educational Qualification and experience: (i) Bachelor degree from a recognised university. (ii) Ten years experience in Accounts, Management of Finance and Budgeting

			Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If Departmental Promotion Committee exists; what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of); 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman; 2. Director General, Defence Research and Development Organisation Headquarters - member; 3. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation - member; 4. Director, Department of Defence or Director, Armed Forces Headquarter Civil Services, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Adviser, Ministry of Defence or Finance (Research and Development) – member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation basis.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Accounts Officer.	64* (2022) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Pay Level-7, (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	60% by promotion failing which by deputation and 40% by deputation.	**Promotion:** Accountant in the pay level-6 (Rs. 35,400-Rs. 1,12,400) with five years service in the grade rendered after appointment hereto on regular basis in the parent Cadre or Department and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to

			the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; and (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following qualifications:- (i) Possessing Degree of a recognized university; and (ii) A pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government or successful completion of training in the Cash and Accounts work conducted by the Institute of Secretariat Training and Management or DRDO or any other Govt. Training Institute and a minimum of 3 years experience in cash, accounts and budget work. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering promotion); consisting of:- 1. Director General Research and Development, Defence Research and Development Organisation -Chairman; 2. Director of Personnel, or Director of Human Resource and Development, Defence Research and Development Organisation - member; 3. An officer not below the rank of Under Secretary or Defence (Research and Development) Ministry of Defence, Deputy Director in Armed Forces Headquarter Civil Service, Ministry of Defence, or AFA Research and Development Ministry of Defence (Finance) - member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. DHRD/97011/RRs/Account Cadres/C/P/02 (I)/1386/D (R&D) dated, the 21 December, 2022]

HARSHA RANI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.